

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला विधि शाखा)
पत्रांक...../विधि,

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय : आम सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि उत्पाद वाद सं०-211/2018-19, दिनांक 21-01-2019 के द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 56(ख) के अन्तर्गत जप्त टी० भी० एस० स्टार सीटी मोटर साईकिल निबंधन सं०-BR-43-7611, Chassis No-MD625KF555IN72488, Engine No.-AF5N51076315 है को राज्यसात करने से संबंधित आम सूचना को तत्काल प्रकाशन किया जाना है।

अतएव आम सूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि मुख्य दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/दैनिक भास्कर/प्रभात खबर) में तत्काल प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्न : आम सूचना की तीन प्रतियाँ

विश्वासभाजन

ह०।—

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....~~938~~...../विधि, मधेपुरा, दिनांक.....30.07.19.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी विभागीय कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अपने विभागीय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आम सूचना प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/7/19
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।